

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार आर ए एस

(1) अपील संख्या 05/2015

1. सुन्दरदेवी पत्नी बालुराम
2. कलावती पुत्री बालुराम
3. इन्द्रा पुत्री बालुराम
4. हनुमान पुत्र बालुराम
5. रामदयाल पुत्र बालुराम
6. हरिदयाल पुत्र बालुराम
7. सुल्तान पुत्र बालुराम
8. वीरबहादुर पुत्र बालुराम

जाति बिश्नोई निवासीगण 3 केडी तह.घडसाना  
जरिये मुख्त्यारआम धर्मपाल पुत्र बालुराम  
जाति बिश्नोई निवासी 3 केडी तहसील  
घडसाना।

9. धर्मपाल पुत्र बालुराम जाति बिश्नोई निवासी 3 के डी तहसील घडसाना जिला  
श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. भूपराम पुत्र जयराम जाति बिश्नोई निवासी 2 डीओएल तहसील घडसाना जिला  
श्रीगंगानगर।
2. निहाल चन्द पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी डाबला हाल निवासी 3  
एसकेएम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार घडसाना।

—रेस्पोंडेन्ट्स

(1) अपील संख्या 07/2015

1. सुन्दरदेवी पत्नी बालुराम
2. कलावती पुत्री बालुराम
3. इन्द्रा पुत्री बालुराम
4. हनुमान पुत्र बालुराम
5. रामदयाल पुत्र बालुराम
6. हरिदयाल पुत्र बालुराम
7. सुल्तान पुत्र बालुराम
8. वीरबहादुर पुत्र बालुराम

9. धर्मपाल पुत्र बालुराम जाति बिश्नोई निवासी 3 के डी तहसील घडसाना जिला  
श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थीगण



13/11/15  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

## बनाम

1. भूपराम पुत्र जयराम जाति बिश्नोई निवासी 2 डीओएल तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. निहाल चन्द पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी डाबला हाल निवासी 3 एसकेएम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार घडसाना।

—रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधि. 1956

विरुद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, घडसाना

दिनांक 07.01.2015

उपस्थिति

श्री सुशील बिश्नोई , अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अजय तनेजा , अभिभाषक रेस्पों.

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक:— 13.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी धर्मपाल ने उपखण्ड अधिकारी घडसाना को एक प्रा.पत्र इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी भूपराम को उसकी जमीन नहर में आ जाने के कारण मुआवजे के रूप में चक 5 के.डी.वी. के मु.नं. 171/36 में 1 बीघा भूमि दिनांक 14.02.1984 को आवंटित की थी जिसमें 13 बिस्वा भूमि नहर में चली जाने की एवज में 13 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी शेष 7 बिस्वा भूमि छोटी पट्टी के रूप में आवंटित कर दी गई थी, इस आवंटन के विरुद्ध बालूराम ने राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील पेश की जो दिनांक 09.08.1995 का स्वीकार कर 7 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध भूपराम ने राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की जो खारिज हो गयी जिसके विरुद्ध भूपराम ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका सं. एस.बी. 2626/01 पेश की जिसका निर्णय दिनांक 03.08.2001 को किया गया। दिनांक 15.02.1984 को आवंटन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी भूपराम को 3.06 बीघा भूमि चक 5 के.डी.वी. के मु. नं. 171/30 में छोटी पट्टी के रूप में आवंटित की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध



*[Handwritten Signature]*  
13/7/17  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील पेश की जो दिनांक 09.08.1995 को भूपराम का आवंटन निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध भूपराम ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की जो दिनांक 18.12.2000 को खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरुद्ध भूपराम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका पेश की थी। बालूराम को भी चक 5 के.डी.बी. के मु.नं. 171/23 में 5 बीघा भूमि दिनांक 16.08.1984 को स्मालपेच में आवंटन की थी जिसकी अपील भूपराम ने राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष पेश की थी जो दिनांक 29.11.1985 को खारिज कर दी थी। उक्त आदेश के विरुद्ध भूपराम ने राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की थी जो दिनांक 05.11.1993 को स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। रिमाण्ड प्रकरण में राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 09.08.1995 को अपील सं. 26/94 स्वीकार कर बालूराम को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध बालूराम ने राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी सं. 99/1995, 100/1995, 118/1995 का निर्णय एक साथ करते हुए खारिज कर दी एवं अधी. न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 09.08.1985 से प्रकरण उपखण्ड अधिकारी घडसाना को रिमाण्ड किया गया था। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.04.2004 द्वारा सहायक उपनिवेशन छतरगढ द्वारा बालूराम को दिनांक 16.08.1984 के स्माल पेच में आवंटित रकबा को यथावत रखा। उक्त रकबा का अमलदरामद बालूराम के नाम हो चुका है। भूपराम को दिनांक 15.02.1984 को मु.नं. 171/30 की 3.06 बीघा भूमि स्माल पेच में आवंटन नियमों के विरुद्ध की है। आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त 3.06 बीघा भूमि बिना प्रक्रिया अपनाये आवंटित की गई है। आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.84 को अप्रार्थी भूपराम की 13 बिस्वा भूमि नहर में चली जाने की एवज में 13 बिस्वा का आवंटन अप्रार्थी भूपराम का बिना प्रा.पत्र लिये उक्त 7 बिस्वा भूमि छोटी पट्टी के रूप में आवंटित कर दी है। भूपराम को बिना कोई सार्वजनिक जारी किये बिना आवंटन किया है। अतः निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 09.08.1995 के रिमाण्ड प्रकरण के अनुसार उचित आदेश पारित किया जावे। इस



  
 राजस्व अपील प्राधिकारी<sup>3</sup>  
 श्रीगंगानगर (राज.)

प्रकरण पर उपखण्ड अधिकारी घडसाना द्वारा पत्रावली सं. 2/2012 कायम की गई एवं इसी आशय का एक अन्य प्रा.पत्र प्रार्थी धर्मपाल द्वारा उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष पेश किया जिस पर पत्रावली सं. 1/2012 कायम की गई। सुनवाई करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी घडसाना ने पत्रावली सं. 2/2012 में प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया एवं पत्रावली सं. 1/2012 में भी प्रार्थी का प्रा. पत्र खारिज कर दिया एवं उक्त आदेश में यह अंकित किया गया कि कि.नं. 10 की शेष 7 बिस्वा भूमि पर कि.नं. 10 के ही काश्तकार का प्रथम हक बनता है। उसी को ही जो आवंटन किया गया है वह नियमानुसार सही है। उक्त 7 बिस्वा भूमि के पुनः आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही होना शेष नहीं है।

प्रकरण सं. 2/2012 के विरुद्ध अपील सं. 5/2015 एवं प्रकरण सं. 1/2012 के विरुद्ध अपील सं. 7/2015 पेश हुई। दोनों ही अपीलों में पक्षकार एक एवं विषयवस्तु एक होने से दोनों अपीलों में एक साथ बहस सुनी गई। दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं की गई एवं पूर्व के आवंटन को यथावत रख दिया जबकि ऐसा करने का अधी. न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। अधी. न्यायालय द्वारा आवंटन से पूर्व कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई है। रेषों. आवंटन करवाने का पात्र नहीं था फिर भी उसके पूर्व आवंटन को बहाल रख दिया। रेषों. सं. 1 द्वारा भूमि का आगे बेचान भी कर दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेषों. ने तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया था। अतः निवेदन है कि अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेषों. ने अपनी बहस में कथन किया कि जिस समय रेषों. को आवंटन किया गया था। अपीलांट की ओर से कोई आवंटन हेतु प्रा.पत्र विचाराधीन नहीं था। अधी. न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों की जांच करने के पश्चात

राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)



एवं रिमाण्ड प्रकरण की पालना करते हुए अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर अपीलें पेश की है। अतः निवेदन है कि अपीलें खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील मीमों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पों. को किया गया आवंटन दिनांक 14.02.1984 की अपीलें होकर परीक्षण अपीलीय न्यायालयों द्वारा आवंटन खारिज किया जा चुका है जो गुणावगुण के आधार पर राजस्व अपील अधिकारी के अपील के निर्णय दिनांक 09.08.1985 में आवंटन नियम विरुद्ध माना, जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 18.12.2000 को खारिज होना पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में भी इस सम्बन्ध में रिट याचिका में रेस्पों. को कोई अनुतोष नहीं मिला। परन्तु अधी. न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों को दरकिनार कर किसी परिपत्र की आड़ लेकर पुनः रेस्पों. को आवंटन करना न केवल विधि विरुद्ध है अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः दोनों ही अपीलें स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.01.2015 खारिज किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि किसी भी प्रक्रिया द्वारा यह भूमि रेस्पों. को आवंटित नहीं की जावे तथा गुणावगुण के आधार पर अपीलांट की पात्रता बनती हो तो उसे आवंटित की जावे। अगर अपीलांट पात्र नहीं हो तो खुली निलामी द्वारा इस भूमि का निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति पीठासीन अधिकारी ताज मोहम्मद को भेजकर स्पष्टीकरण लिया जावे कि अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों के **discredit** कर उनके निर्देशों के विपरीत निर्णय क्यों पारित किये जो स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

निर्णय दिनांक 13.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(पेमराम परमार)*  
13/7/17  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्री मंगलम् (राज.)